

पेशावली में अक्टूबर 2020 सम्मिलित अक्टूबर 2020 पर प्रतिवारी सं-5 के विरुद्ध एकपक्षीय प्रस्तावना अमल में लायी जाती है। तत्पश्चात् प्रस्तावना ब्रह्म वकुलाय उज्जयपस सुनी गयी। वारं- आदेश पत्रावली दिनांक 04-12-2020 को पेशा हो।

04-12-2020

पत्रावली वारं- आदेश आज पेश हुई। वकुलाय उज्जयपस उपस्थित। प्रकरण में ब्रह्म वकुलाय उज्जयपस में सुनी जा चुकी है। वरवत्त ब्रह्म वकुलाय उज्जयपस ने विवेदन किया कि विवाहित पक्षकारों राजीनामा पेश किया जा चुका है। अतः मुलाखिद राजीनामा दावा डिस्मि करमाया जावे।

पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिपोर्ट का अवलोकन किया गया एवं ब्रह्म वकुलाय उज्जयपस पर सगौर मनत्र किया गया। धर्मिक विवाहित पक्षकारों द्वारा राजीनामा पेश किया जा चुका है जिसे न्यायालय हाजा द्वारा तस्वीक भी किया जा चुका है। अतः वाद, वादीगण मुलाखिद राजीनामा दिनांकित 26-10-2020 स्वीकार किया जाकर डिस्मि किया जाता है। राजीनामा दिनांकित 26-10-2020 डिस्मि का भाग रहेगा। मुलाखिद राजीनामा दिनांकित 26-10-2020 राजस्व रिपोर्ट में अमल दराज हो। तदनुसार प्रकरण में चर्चा डिस्मि जारी हो। पत्रावली फेचल इन्फार्म होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तस्वीक दाखिल करके हो। यह निर्णय आज दिनांक 04-12-2020 को मेरे द्वारा दस्तखत कर न्यायालयी मुद्रा सहित खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(राजेश कुमार)

उपरवर्त अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी